<u>माननीय न्यायमूर्ति के. कन्नन के समक्ष</u>

<u>संजीव कुमार- याचिकाकर्ता</u>

<u>बनाम</u>

<u>हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता</u>

<u>1994 का सीडब्ल्यूपी नंबर 931</u>
<u>26 अगस्त 2013</u>

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 226- रिट क्षेत्राधिकार - सेवा कानून - परिवीक्षा - याचिकाकर्ता-कांस्टेबल को परिवीक्षा अवधि के दौरान 28 दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा उन्मुक्त कर दिया गया- इस आधार पर सेवा उन्मुक्त किया कि उसने रिक्रूट बेसिक कोर्स में कोई दिलचस्पी नहीं ली और पेशेवर कौशल की कमी थी और कि वह एक कुशल पुलिस अधिकारी साबित नहीं होगा - अग्रसर वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका - निर्धारित, आदेश वर्तिका संबंधी नहीं है - रिट याचिका खारिज।

निर्धारित कि इस मामले में जो अंतर हमें मिलता है, वह यह है कि इस टिप्पणी के अलावा कि उसके एक कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है और उसे सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है, विवादित आदेश में उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान, लंबी अवधि से उसकी अनुपस्थिति के तथ्य को दर्ज किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहना कोई भी कलंकपूर्ण टिप्पणी हो सकती है, यदि उसी क्रम में यह टिप्पणी कि उसके एक कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं थी, को कलंकपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। सुखविंदर सिंह (सुप्रा) में, एक वरिष्ठ अधिकारी की इस धारणा का संदर्भ था कि अपराधी पुलिस कांस्टेबल के कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है। यदि वह कलंकपूर्ण नहीं था, तो मात्र अनुपस्थिति का संदर्भ भी कलंकपूर्ण नहीं माना जा सकता। दरअसल, कोई व्यक्ति कुशल अधिकारी बनेगा या नहीं, इस पर राय बनाए बिना भी सेवामुक्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस तरह के मूल्यांकन के बिना भी, सेवामुक्ति का आदेश मनमाना हो

जाएगा और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए इस बात पर थोड़ा विचार करना होगा कि कोई व्यक्ति एक कुशल अधिकारी बन सकता है या नहीं। यह मूल्यांकन विभिन्न चरणों के अंतर्गत हो सकता है; यह किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है, जो बार-बार अनुपस्थित रहता है; यह उस व्यक्ति का हो सकता है, जो किसी अपराध को अंजाम देने जैसे गंभीर कदाचार का दोषी हो। यदि यह केवल अनुपस्थिति का मामला था और उच्च अधिकारी कहता है कि वह एक कुशल पुलिस अधिकारी नहीं बनेगा, तो यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि वह जो अनुमान लगा रहा था उसका वैध आधार था और वह मनमौजी या मनमाना नहीं था। मैं इस आदेश को हस्तक्षेप करने के लिए वर्तिका सम्बंधी नहीं मानूंगा। पारित आदेश उचित थे और मुझे रिट याचिका में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं मिला। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(पैरा 5)

नौबत सिंह पनवार, अधिवक्ता, याचिकर्ता के लिए।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

<u>माननीय न्यायमूर्ति के. कन्नन (मौखिक) :</u>

(1) यह रिट याचिका 01.06.1993 को जारी एक आदेश को चुनौती देती है जिसमें याचिकाकर्ता को परिवीक्षा के दौरान यह कहते हुए सेवा उन्मुक्त कर दिया गया था कि उसके एक कुशल पुलिस अधिकारी साबित होने की संभावना नहीं है। आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि आदेश कलंकपूर्ण था और इसलिए, कदाचार का आरोप लगाते हुए सामान्य विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के पक्ष में विवादित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अधिवक्ता , इस न्यायालय के निर्णय, **<u>सुरिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (आईएलआर 2009 (2) पी एंड एच 253)</u>** और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, **<u>पृथ्वीपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2002) 10 एससीसी 133</u>**, पर आश्रय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मानना हैं की सेवा उन्मुक्त का आदेश उस मामले में मात्र एक सेवा उन्मुक्त का नहीं था और वह वर्तिका सम्बंधी था। सर्वोच्च न्यायालय, आदेश के सार पर विचार कर रहा था जो इस प्रकार था: -

(i) कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना 12.12.1988 से 15.12.1988 तक अनुपस्थित रहा। अनुपस्थिति की इस अवधि के लिए बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किया गया और तदनुसार सुधार करने की चेतावनी दी गई।

(ii) 1.6.1989 को, वह फिर से अनुपस्थित रहे और उन्हें एक दिन की बिना वेतन छुट्टी स्वीकृत की गई। उन्हें अनुपस्थित रहने की आदत छोड़ने की चेतावनी दी गयी।

(iii) कि याचिकाकर्ता को इस कार्यालय के आदेश संख्या 34410-23/बी दिनांक 17.11.1990 के तहत 17.11.1990 को पुलिस लाइन से पुलिस नियंत्रण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन वह बिना किसी कारण के अपने नए पोस्टिंग स्थान पर रिपोर्ट करने में विफल रहा। इस प्रकार उन्होंने अपने वरिष्ठों के आदेश की अवहेलना की।

(iv) कि याचिकाकर्ता, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना w.c.f. 11.12.1990 से आक्षेपित आदेश पारित होने तक जो कि हैं 22.2.1991, तक लगातार अनुपस्थित रहा।

(2) राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने बताया कि पृथ्वीपाल सिंह (सुप्रा) के निर्णय में **<u>पंजाब राज्य और अन्य बनाम राजेश कुमार ((2006) 12 एससीसी 418)</u>** में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इस पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने इसका पालन, **<u>पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुखविंदर सिंह (2005(3) एससीटी 616)</u>** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ का हवाला देते हुए, नहीं करने का फैसला किया।। दोनों मामलों में तर्क यह था कि सेवा उन्मुक्त करने का आदेश वास्तविक इरादों को छुपा सकता है। ऐसी घटना में, पुलिस अधिकारी को एक उचित विभागीय जांच में शामिल करने की आवश्यकता थी और यह प्रक्रिया को टाल नहीं सकता था और यह दिखाने के लिए सेवा उन्मुक्त करने का आदेश पारित नहीं कर सकता था कि इस तरह के आदेश के बारे में कुछ भी कलंकपूर्ण नहीं था।

(3) चूंकि यह विवाद्यक कि पारित आदेश वर्तिका सम्बंधी था या नहीं, मेरा मानना है कि पारित आदेश के संपूर्ण पाठ को पुन: प्रस्तुत करना प्रासंगिक हो जाएगा:-

"रिक्रूट कांस्टेबल संजीव कुमार नंबर 1821/अंबाला, रिक्रूट बेसिक कोर्स बैच नंबर 47 के दौरान प्रशिक्षण में 21.4.1993 को बिना किसी छुट्टी या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित रहे। यह सिपाही तब से लगातार अनुपस्थित चल रहा है।

इससे पहले यह रिक्रूट/कांस्टेबल 28.3.93 को भी परेड/प्रशिक्षण से अनुपस्थित हुआ था और 27 दिन 1 घंटा और 50 मिनट तक अनुपस्थित रहने के बाद 13.4.1993 को वापस रिपोर्ट किया था। इस चूक के लिए उन्हें निदेशक, पी.टी.सी. मधुबन, संख्या 2676/ ओएएसआई दिनांक 20.4.93, द्वारा निंदा हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब 27.4.93 को प्रस्तुत किया, लेकिन अपना रिटर्न पी.टी.सी. मधुबन की डेली डायरी में दर्ज नहीं करवाया और फिर चला गया। उनकी अनुपस्थिति अवधि अर्थात 28 दिन को बिना वेतन अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया है।

यह रिक्रूट/कांस्टेबल विभिन्न अवसरों पर प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहा और उसकी अनुपस्थिति का निर्णय निम्नानुसार किया गया:-

10.10.92 से 10.10.92	18 घंटे 55 मिनट	6 दिन पी.डी.
1.9.92 से 4.9.92	9 घंटे 55 मिनट	6 दिन पी.डी.
3.10.92 से 5.10.92	1 दिन 15 घंटे 5 मिनट 1 दिन बिना छुट्टी के	दस दिन
16.12.92 से 16.12.92	5 घंटे 20 मिनट	3 दिन पी.डी.
8.1.93 से 10.1.93	2 दिन 1 घंटा और 35 मिनट	नौ दिन

31.1.93 से 31.1.93	10 घंटे 10 मिनट	3 दिन पी.डी.
7.2.93 से 9.2.93	2 दिन 1 घंटा 10 मिनट	2 दिन पी.डी.
16.3.93 से 18.3.93	2 दिन 45 मिनट	पांच दिन

> उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि रिक्रूट कांस्टेबल संजीव कुमार नंबर 1821/अम्बाला ने रिक्रूट बेसिक कोर्स में कोई रुचि नहीं ली और निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। उनमें पेशेवर कौशल की कमी है, मेरा दृढ़ मत है कि वह एक कुशल पुलिस अधिकारी साबित नहीं हो सकते, यहां तक कि वह अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण भी पूरा करने में असफल रहे। मेरी सुविचारित राय है कि रिक्रूट कांस्टेबल संजीव कुमार नंबर 1821/अम्बाला को पी.पी.आर. 12.21. के तहत सेवा उन्मुक्त करने का यह उपयुक्त मामला है।
> ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिक्रूट कांस्टेबल संजीव कुमार नंबर 1821/अंबाला को पी.आर.12.21 के तहत, दिनांकित 1.6.93 एफ.एन से पुलिस बल से बर्खास्त किया जाता है।
> ओ.बी. में आदेश जारी करें"

(4) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता समझाएंगे कि सुखविंदर सिंह (सुप्रा) में, जो आदेश पारित किया गया था वह एक अप्रकट सजा आदेश था जिसने एक व्यक्ति को केवल इस अवलोकन पर सेवा से बर्खास्त कर दिया कि उसके एक कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने समाप्ति आदेश के प्रारूप के तरीके को महत्वपूर्ण बताया है, इसलिए मैं इसे दोबारा प्रस्तुत करना उचित समझता हूँः-

> "इस जिले के कांस्टेबल सुखविंदर सिंह नंबर 644/एएसआर को पंजाब पुलिस नियम 12.21 के तहत 16.3.1990 से सेवा से बर्खास्त किया जाता है क्योंकि उनके एक कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है।"

सर्वोच्च न्यायालय की 3-सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष मामले में, आक्षेपित आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की टिप्पणियों का संदर्भ देता है, जिन्होंने आदेश पारित किया था कि उस पुलिस अधिकारी को एक कुशल पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता था। किसी अन्य कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। निर्णय का पैरा 5 दिखाता है कि कर्मचारी उसी तरह से तर्क देने की कोशिश कर रहा था जैसा कि यहां किया गया है, कि हालांकि आदेश अहानिकर लग रहा था, इसने यह छिपाने का प्रयास किया कि वास्तव में उच्च अधिकारियों के दिमाग में क्या चल रहा था। न्यायालय ने कांस्टेबल द्वारा की गई याचिका का संदर्भ दे रही थी याचिकाकर्ता को पहले, 22 फरवरी 1990 से ड्यूटी से अनुपस्थिति का नोटिस जारी किया गया था और अनुपस्थिति को कदाचार मानते हुए 16 मार्च 1990 को सेवामुक्त करने का आदेश पारित किया गया था। अदालत ने कर्मचारी की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि जब उसे इस टिप्पणी पर सेवामुक्त करने का आदेश पारित किया गया था कि उसके पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है, तो इसे कलंकपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।

(5) इस मामले में जो अंतर हमें मिलता है, वह यह है कि इस टिप्पणी के अलावा कि उसके एक कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है और उसे सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है, विवादित आदेश में उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान, लंबी अवधि से उसकी अनुपस्थिति के तथ्य को दर्ज किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहना कोई भी कलंकपूर्ण टिप्पणी हो सकती है, यदि उसी क्रम में यह टिप्पणी कि उसके एक कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं थी, को कलंकपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। सुखविंदर सिंह (सुप्रा) में, एक वरिष्ठ अधिकारी की इस धारणा का संदर्भ था कि अपराधी पुलिस कांस्टेबल के कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है। यदि वह कलंकपूर्ण नहीं था, तो मात्र अनुपस्थिति का संदर्भ भी कलंकपूर्ण नहीं माना जा सकता। दरअसल, कोई व्यक्ति कुशल अधिकारी बनेगा या नहीं, इस पर राय बनाए बिना भी सेवामुक्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस तरह के मूल्यांकन के बिना भी, सेवामुक्ति का आदेश मनमाना हो जाएगा और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए इस बात पर थोड़ा विचार करना होगा कि कोई व्यक्ति एक कुशल अधिकारी बन सकता है या नहीं। यह मूल्यांकन विभिन्न चरणों के अंतर्गत हो सकता है; यह किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है, जो बार-बार अनुपस्थित रहता है; यह उस व्यक्ति का हो सकता है, जो किसी अपराध को अंजाम देने जैसे गंभीर कदाचार का दोषी

हो। यदि यह केवल अनुपस्थिति का मामला था और उच्च अधिकारी कहता है कि वह एक कुशल पुलिस अधिकारी नहीं बनेगा, तो यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि वह जो अनुमान लगा रहा था उसका वैध आधार था और वह मनमौजी या मनमाना नहीं था। मैं इस आदेश को हस्तक्षेप करने के लिए वर्तिका सम्बंधी नहीं मानूंगा। पारित आदेश उचित थे और मुझे रिट याचिका में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं मिला। रिट याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़